रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1970/माघ 18, 1891

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1970/MAGHA 18, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालय और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित) हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 5th January 1970

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Statistics) No. G.S.R. 1065, dated the 17th July, 1964, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may called the Directorate of National Sample Survey (Superintendent) Recruitment Rules, 1970.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 3rd January 1970

G.S.R. 202.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, in the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

(i) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Eighth Amendment) Rules, 1969.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the schedule to the AIR (Class III posts) Recruitment Rules, against Serial number 35, in column 10, for the entries the following entries shall be substituted, namely:—

"Essential

(i) Diploma in Radio/Telecommunication/Electrical/Electronics/Electrical Communication Engineering recognised by the Government of India.

or

(ii) Degree with Physics as one of the subjects from a recognised University.

or

(iii) Degree in Electrical Engineering from a recognised University or an equivalent degree."

"Desirable.

Knowledge of Wireless or Radio Engineering."

[No. 16/27/69-BD.]

C. B. GIRIDHAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1970

जी० एस० आर० 202:–संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (आठवां संशोधन) नियमावली, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 35 के सम्मुख कालम 10 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं :—

आवश्यक

(1) भारत सरकार से मान्यताप्राप्त रेडियो/दूर संचार/इलैक्ट्रीकल/इलैक्ट्रोनिक्स/इलैक्ट्रीकल कम्यूनिकेशन इन्जीनियरी का डिप्लोमा।

या

(2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय सहित डिग्री।

या

(3) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रोकल इन्जीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री।

वांछनीय

वायरलैस या रेडियो इन्जीनियरी का ज्ञान।

[संख्या फा० 16/287/69-बी डी]

सी० बी० गिरिधर, अवर सचिव।

New Delhi, the 20th January 1970

G.S.R. 203.—In exercise of the powers conferred by Section 20A of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956 namely:—

1. These rules may be called the Registration of Newspapers (Central) Amendment Rules, 1970.

2. In the Schedule to the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956) in Form II, at the end of part "'B'—Circulation", the words "of qualified Auditor" wherever they occur shall be omitted.

[No. Co.(M)/Genl./8/KW/68.]

BANU RAM AGGARWAL, Under Secy

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1970

जी० एस० आर० 203.—प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 (1867 का 25) की धारा 20क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. इन नियमों को समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

2. समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 के परिशिष्ट के फार्म-दो में भाग "ख-सर्कुलेशन" के अन्त में "या अर्हताप्राप्त लेखा परीक्षक" शब्द जहां भी हो, हटा दिए जाएं।

[सं० का (एम)/जनरल/8/डब यू 168]

बानू राम अग्रवाल, अवर सचिव।

New Delhi, the 21st January 1970

G.S.R. 204.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting No. GSR 347, dated the 6th March, 1962, namely:—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 for Serial No. 15 relating to the post of 'Farm Radio Officer' and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"15	Farm Radio Officer.	10	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.	Not applicable	35 years & below (Relaxable for Government servants)	*Essential* : (*i*) Degree in Agriculture from a recognised University/Institution or equivalent. (*ii*) About 5 years experience of Agricultural extension /information work in Agriculture Departments of the Central/State Governments or Union Territories. (*iii*) Experience of preparation and processing of Agricultural information for popular presentation, preferably through Radio Baordcasts. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : (*i*) Training in different communication media with respect to their relevent effectiveness for extension techniques. (*ii*) Knowledge of one of the regional languages (according to the requirements of each post).

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 yrs.	50 per cent by direct recruitment 50 per cent by transfer on deputation failing which by direct recruitment.	*Transfer on deputation*: Suitable officers of the Central or State Governments or Union Territories holding analogous posts, conversant with information /extension education techniques in relation to Agriculture, and having intimate knowledge of local conditions and languages. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1968"

[No. 17/7/69-B (A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1970

जी० एस० आर० 204:–संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 347, तारीख 6 मार्च, 1962 में प्रकाशित आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के परिशिष्ट में 'फार्म रेडियो अधिकारी' के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 15 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. फार्म रेडियो अधिकारी ।		10	सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अलिपिक वर्गीय ।	400–25–500 –30–590– द० अ०–30– 800–द० अ० –30–830– 35–900 रुपये ।	लागू नहीं होता ।	35 वर्ष तथा इससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जाएगी) ।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि में डिग्री या इसके समकक्ष । (2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि विभागों में कृषि विस्तार/सूचना कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव । (3) लोकप्रिय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कृषि सम्बन्धी सूचना को तैयार करने तथा आग बढ़ाने, विशेषकर रेडियो प्रसारणों द्वारा, का अनुभव । (अन्य प्रकार से विशेष अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोग के विवेक पर इन अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) वांछनीय : (1) विस्तार टेकनीकों के लिए विभिन्न संचार माध्यमों में तथा उनसे सम्बन्धित प्रभाविता के बारे में प्रशिक्षण । (2) किसी एक प्रादेशिक भाषा का ज्ञान (प्रत्येक पद की आवश्यकता के अनुसार) ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत/50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के उपयुक्त अधिकारी, जो कृषि में सम्बन्धित सूचना/विस्तार शिक्षा के टेकनीक से परिचित समान पदों पर कार्य करते हों तथा स्थानीय परिस्थितियों एवं भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अनुसार ।

[संख्या फा० 17/7/69-बी (ए)]

ए० वी० नारायणन्, अवर सचिव ।

New Delhi, the 24th January, 1970

G.S.R. 205.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Film Institute of India (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1961, in the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. (1) These rules may be called the Film Institute of India (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Film Institute of India (Class II and Class IV posts) Recruitment Rules, 1961, after Serial number 8 and the entries relating there to, the following shall be insereted, namely :—

1	2	3	4	5	6
8A.	Stenographer (Hindi)	General Central Service Class III (non-gazetted) ministerial.	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300	100% direct	Nil

7	8	9	10	11	12
Nil.	Nil.	25 years and below	*Essential* : (*i*) matriculation with Hindi as one of the subjects for study in the matriculation class or equivalent. (*ii*) 80 words per minute in Hindi Shorthand (*iii*) 25 words per minnute in Hindi Typewriting. *Desirable* : Ability to translate small precis from English into Hindi.	Not applicable	Not applicable

[No. 3/7/69-F(A)]

K. K. KHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी 1970

सा० एस० आर० 205:—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली 1961 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1961 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 8 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित रखा जाए :—

1	2	3	4	5	6	7	8
"क	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय	130-5-160-8-200-द.प्र.-8-256-द.प्र.8-280-10-300 रुपये	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	शून्य	शून्य	शून्य

9	10
25 वर्ष तथा इससे कम	**आवश्यक:**—(1) हिन्दी के विषय सहित मैट्रिक या इसके समकक्ष। (2) हिन्दी शार्टहैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) हिन्दी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। **वांछनीय** : छोटे छोटे खण्ड अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने की योग्यता।

[संख्या 3/7/69-एफ (ए)]

के० के० खान, अवर सचिव।